न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-82RAAJodhpur2024-34RTA223 Manglaram ors Vs Motiram etc

01. मंगलाराम पुत्र श्री किशनाराम
02. मोतीराम पुत्र श्री किशनाराम
03. मुनाराम पुत्र श्री किशनाराम
04. भबूतराम पुत्र श्री गोरधनराम
05. भेराराम पुत्र श्री निम्बाराम
06. तेजाराम पुत्र श्री निम्बाराम
07. मदनलाल पुत्र श्री रूपाराम
08. बचनाराम पुत्र श्री रूपाराम
09. भानाराम पुत्र श्री चौलाराम
10. कालूराम पुत्र श्री चौलाराम
11. श्यामलाल पुत्र श्री चौलाराम
12. गुटकी पत्नी श्री चौलाराम

जातियान जाट, निवासीगण सुरपुरा कलां, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मोतीराम पुत्र श्री जोराराम
2. नेनाराम पुत्र श्री जोराराम
3. मनोहरसिंह पुत्र श्री जोराराम
   जाति जाट, निवासी सुरपुरा कलां, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2020 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी .राजस्व मूल वाद संख्या 124/2018 मोतीराम व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री अजय कुमार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 26 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 124/2018 अनवान मोतीराम व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम सुरपुरा कलां तहसील बावड़ी के खेत खसरा नम्बर 51 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 54 रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 421 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 422 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 423 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 424 रकबा 02 विस्वा, खसरा नम्बर 425 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 416 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 417 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 418 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 415 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 31 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 32 रकबा 32 बीघा 18 विस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2020 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट स्व. दुर्गाराम की खातेदारी में दर्ज होने से उनकी स्वः अर्जित भूमि रही है। वादग्रस्त आराजीयात स्व दुर्गाराम को अपने पिता पदमाराम से प्राप्त नही होने के कारण उस पुश्तैनी भूमि नहीं कहा जा सकता है। इस कारण पदमाराम के अन्य पुत्रो को अथवा वादीगण को इस भूमि में कोई अधिकार अर्जित नही हुए है। वादग्रस्त आराजीयात के पर्चा लगान में स्व. दुर्गाराम के साथ अन्य खातेदारो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का नाम दर्ज है, न कि वादीगण के पूर्वजों का। ऐसी स्थिति में वादीगण को विवादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार के टेनेन्सी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है एवं उनका घोषणात्मक वाद चलने योग्य ही नही है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नही मिला एवं न उन्होने कोई नोटिस लेने से इंकार किया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन डिक्री व निर्णय एकपक्षीय एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित पारित किया गया है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिलने से वे अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख पाये थे। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के सम्मन प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण पर सम्यक रूप से तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादीगण का दावा डिक्री किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। वादग्रस्त आराजीयात के इन चारो खातो की भूमि के अन्य सहखातेदारो के बीच भूमि का विभाजन करवाने हेतु अपीलार्थीगण ने जमाबन्दीयो की नकले दिनांक 05.02.2024 को ऑनलाईन तलास करवाई तो उसमें अन्य अभिलिखित खातेदारो के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन का नाम भी उसमें लिखा हुआ मिला, जिस बारे में पटवारी से दिनांक 06.02.2024 को पुछा तो उन्होने नामान्तरकरण पंजिका देखकर बताया कि रेस्पोडेन्ट्स का नाम सहायक कलेक्टर बावड़ी द्वारा पारित डिक्री के आधार पर लिखा गया है। उस पंजिका में से पटवारी ने मुकदमा नंबर व तारीख फैसला लिखकर दिया, जिस आधार पर अपीलार्थी ने दिनांक 07.02.2024 को बावड़ी जाकर पता किया व नकल के लिए अर्जी पेश करवाई जो नकल दिनांक 08.02.2024 को प्राप्त हुई उसके पश्चात अपीलार्थी ने पुराने पट्टो की नकले प्राप्त की। अपीलार्थी को उक्त डिक्री की जानकारी प्रथमबार दिनांक 08.02.2024 को हुई। प्रथम जानकारी दिनांक 08.02.2024 से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 124/2018 अनवान मोतीराम व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2020 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से तीन की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। वक्त सेटलमेंट वादीगण के पूर्वज पदमारामजी के दो पुत्रों भगवानाराम एवं खरताराम के फौत हो जाने से वादग्रस्त आराजीयात केवल उनके तीसरे पुत्र दुर्गाराम के नाम दर्ज हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण को अपने पुश्तैनी हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट्स की ओर से बावजूद जानकारी हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई समुचित कारण नहीं बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पो. संख्या दस के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन तामीली रिपोर्ट के मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों अनुसार दो मौतबिरारों की उपस्थिति में अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना केवल चस्पानगी रिपोर्ट के आधार तामील मानते हुए अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा न्याय हित में प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट अपीलांट्स के पूर्वज दुर्गा वल्द पदमा के नाम से खातेदारी में दर्ज होना प्रकट होती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम खसरा गिरदावरी में भी अपीलांट्स के पूर्वज दुर्गा वल्द पदमा का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य में प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो./वादीगण की पुश्तैनी भूमि साबित नहीं होती है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि में निहित प्रावधानोनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना, उन्हें जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना तथा जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत, वाद एवं जवाबदावा के आधार पर मामले में तनकीयात कायमी की जाकर एवं उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानो एवं वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 124/2018 अनवान मोतीराम व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 मई 2020 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर